# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

**पीठासीन अधिकारी :– राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)**

दायर दिनांक 19.06.2024

प्रकरण संख्या 76/24

जीसीएमएस नं 2024/189

**उनवान**

1 जीतेन्द्र 2 शिवचरन पुत्रान अमरसिंह जाति मीना नि. खदराया तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।
––वादी

**बनाम**

1 अशोक पुत्र छुट्टन 2 बच्चू पुत्र छुट्टन (मृतक) 2/1 कुलदीप 2/2 विनोद पुत्रान बच्चू जाति मीना नि. खदराया तह. भुसावर 2/3 मंजू पुत्री बच्चू पत्नि भरतराम जाति मीना नि. खदराया तह. भुसावर हाल निवासी बेरका तह. कठूमर जिला अलवर 3 राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.।
––प्रतिवादीगण

दावा विभाजन व हुक्म इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता :–

1. श्री छोटेलाल मीना ––वादी
2. श्री धनेन्द्र कुमार पाण्डेय ––प्रति.सं. 1,2

**निर्णय दिनांक 29.05.2026**

वादीगण अधिवक्ता द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ.ख.नं. 430 रकबा 1.04 हैक्टे. वाके ग्राम खदराया तह. भुसावर मे स्थित है, जिसमें वादीगण वाहिस्सा बराबर 1/2 हिस्से के व प्रतिवादीगण संख्या 1, 1/6 हिस्से का व प्रतिवादी संख्या 2, 1/3 हिस्से के काबिज काश्तकार एवं खातेदार है तथा इसी प्रकार से मौके पर काश्त करते हुए राज लगान राज्य सरकार को अदा करते चले आ रहे है।

उक्त वर्णित आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदार व काश्तकारी की अविभाजित आराजी है, जिसका विभाजन अभी तक वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड नहीं हुआ है। परन्तु वादीगण एवं प्रतिवादीगण उक्त आराजी का बाहमी मनवट के आधार पर हो रहे विभाजन अनुसार अपने–2 हिस्से की आराजी को काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन प्रतिवादीगण बहुत ही चतुर एव चालाक किस्म के व्यक्ति है, जो अपने लट्ठ व ताकत के बल पर वादीगण के निहित हिस्से की आराजी पर पूरा–2 लाभ प्राप्त नहीं होने देते है।

वादीगण द्वारा निवेदन किया है कि उक्त वर्णित आराजीयात का विभाजन वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

हमने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक से की गई। नोटिस की ताईद मे प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 की ओर से वकालतनामा व जवाब दावा श्री धनेन्द्र कुमार पाण्डेय एड द्वारा पेश किये।

हमने बहस पर उभय पक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भली भाति अवलोकन किया गया। उभय पक्ष अधिवक्तागण द्वारा विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने बाबत सहमति जताई।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०

अतः उभयपक्ष की सहमति के आधार पर दावा वादीगण प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर कुरेजात रिपोर्ट हेतु तहसीलदार, भुसावर को लिखा गया। जिसकी पालना में तहसीलदार, भुसावर द्वारा अपने पत्रांक / एल.आर. / 2026 / 1667 दिनांक 16.04.2026 से अवगत कराया कि बच्चू पुत्र छुट्टन जाति मीना निवासी खदराया की मृत्यु हो चुकी है।

अतः दावा वादीगण पुनः संशोधित प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर कुरेजात रिपोर्ट हेतु पुनः तहसीलदार, भुसावर को लिखा गया। जिसकी पालना में तहसीलदार, भुसावर द्वारा अपने पत्रांक / एल.आर. / 2026 / 2442 दिनांक 27.05.2026 द्वारा विभाजन प्रस्ताव भिजवाया गया।

हमने बहस पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एव इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड तथा विभाजन प्रस्ताव का भली भांति अध्ययन किया गया। उक्त के आधार पर हम दावा वादीगण डिक्री किया जाना उचित पाते है।

अतः दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आपके द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के पत्रांक / एल.आर. / 2026 / 2442 दिनांक 27.05.2026 अनुसार उभयपक्षकारान के मध्य खातेदारी की जावे तथा नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावे। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०